

# FORM No. III


## फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व लोक अदालत अभियान.....  
न्याय आप के द्वार .....2017

### न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

उनवान ..... शिम्भूदयाल ..... बनाम ..... भोलाराम उर्फ भोलूराम .....  
किस्म मुकदमा ..... दावा ..... मुकदमा नं० ..... 65 ..... सन् ..... 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>01<sup>06</sup>/<sub>17</sub> अधिवक्ता श्री बनवारी लाल जांगू ने राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सैम्पल न्याय उत्तम सेवा डेन्ट्र, रोमल में वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। वादी की पहचान श्री बनवारी लाल जांगू ने एवं प्रतिवादी सं० 1 की पहचान श्री रामावतार बिजारगिया एड० ने की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया जिते सुन व समझकर उपस्थित पक्षकारान द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। अतः लघुहस्ताक्षर पक्षकारान राजीनामा बाद तस्दीक शामिल प्रमाणनी किया गया।</p> <p>वकुलाय उम्रम पक्ष ने लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा दावा डिस्मि करमाया जाने का निवेदन किया। वकुलाय उम्रम पक्ष के निवेदन पर तहमीलदार खण्डेला ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।</p> <p>हमने जाबली एवं जाबली पर उत्तम राजस्व रिपोर्ट व पेशकश खर्च व प्रतीकृत कि जिसे हमने...</p>	<p>शिम्भूदयाल</p>  <p>शिम्भूदयाल</p>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालिका में जारी हुए
-------------	---------------------------------------	--

रकबा 0.79 है सम्पूर्ण का प्रतिवादी नं० 1 के तथा तन ग्राम डंकरपुरा की हफि भूमि खानं 179 रकबा 2.10 है सम्पूर्ण का वादी के तथा 489 रकबा 1.13 है सम्पूर्ण का अडेले प्रतिवादी नं० 1 के तथा खानं 511 ता 514 रकबा 14.35 है के 1/32 भाग का वादी के स्थान पर अडेले प्रतिवादी नं० 1 के तथा ग्राम चड रोमत के खानं 6/2 रकबा 0.3050 है खानं 9/2 रकबा 1.43 है, खानं 12 रकबा 0.65 है, खानं 10/2 रकबा 1.00 है कुल रकबा 3.385 है के 1354/3385 भाग के 1/2 भाग का प्रतिवादी नं० 1 के स्थान पर वादी के एवं खानं 7 रकबा 0.03 है, खानं 10/1 रकबा 0.05 है कुल रकबा 0.08 है के 1/8 हिस्से का प्रतिवादी नं० 1 के स्थान पर वादी के ज़ावेदार काबतदार घोषित किया जाता है। वादी के हिस्से आई भूमि पर वादी का बँड रहन व प्रतिवादी नं० 1 के हिस्से में भूमि पर प्रतिवादी नं० 1 का बँड रहन दर्ज किया जावे। <sup>बँड रहन दर्ज किया जावे।</sup> उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अभल दरासद हो। तदनुसार प्रकरण में पचा डिडी मुतीप हो। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकनील दाखिल फफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 01-06-2017 के मेरे द्वारा मजमे आम लुगाया गया।



जामीनदार  
 अखिलेश्वर  
 उपाय (अखिलेश्वर)



मूल वाद में डिक्री  
 (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, (सीकर)**

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खण्डेला (सीकर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

शिमभूदयाल \*X\* बनाम ① भोलाराम उर्फ भोलूराम \*X\*

दावा बाबत घोषणा व स्थाई निवेद्याना

मुकदमा नम्बर :- 65/2017

निर्णय दिनांक :- 01-06-2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी श्री बनवारी लाल जांगू मिनजानिब मुददई रुबरु श्री रामावतार बिजारगिया एम मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तन ग्राम अगलोई की कृषि भूमि खण्डेला पञ्चायत 0.79 हे० सम्पूर्ण का प्रतिवादी नं० को तथा तन ग्राम कंवरपुरा की कृषि भूमि खण्डेला पञ्चायत 2.10 हे० सम्पूर्ण का वादी को तथा पञ्चायत 1.13 हे० सम्पूर्ण का प्रतिवादी नं० को तथा खण्डेला 14.35 हे० के 1/32 भाग का वादी के प्यान पर अडिले प्रतिवादी नं० को तथा ग्राम चड रोयल के खण्डेला 6/2 रकबा 0.3050 हे०, खण्डेला 9/2 रकबा 1.43 हे०, खण्डेला 12 रकबा 0.63 हे०, खण्डेला 10/2 रकबा 1.00 हे० कुल रकबा 3.365 हे० के \*X\* खचा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेगे।

यह आज दिनांक 01-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(भागीरथ शाख)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 खण्डेला (सीकर)  
 खण्डेला (सीकर)

**वाद के खर्च**

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
6 कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7 आदेशिका की तामील		कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

\* पुत्र बाबूराम जाति जाट नि० उंबरपुरा तह० जयपुर जिला सीकर (राज०)

बनाम

- (वादी)

\* पुत्र बाबूराम जाति जाट नि० उंबरपुरा तह० जयपुर जिला सीकर (राज०)

① भूमिदारी तहसीलदार जयपुर

② सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा जयपुर जस्टिस मैनेजर

④ बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा जयपुर जस्टिस मैनेजर

- (प्रतिवादी)

X

\* 1354/3385 भाग के 1/2 भाग का प्रतिवादी नं० के स्थान पर वादी को एवं ख० नं० 7 रकबा 0.03 है०, ख० नं० 1011 रकबा 0.05 है० कुल रकबा 0.08 है० के 1/8 हिस्से का प्रतिवादी नं० के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी के हिस्से आई भूमि पर वादी का बैंक रهن व प्रतिवादी नं० के हिस्से आई भूमि पर प्रतिवादी नं० का बैंक रهن दर्ज किया जावे। <sup>बैंक रهن लान्ति प्रमाण पत्र देना हैने पर</sup> उक्तानुसार राजा-व रिकॉर्ड में अमल दायर है।

बागीरथ शाह  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर (सीकर)

